

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 27 जनवरी, 2017

अधिसूचना
सं० 02/2017-सीमा शुल्क

सा०का०नि० (अ)- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 96/2008 सीमा शुल्क, तारीख 13 अगस्त, 2008, सा.का. नि. सं० 590(अ), तारीख 13 अगस्त, 2008, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध - I में, तालिका में, क्रम सं 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेंगी अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
14	080280	सभी माल	60%

फा. सं. 354/189/2005-टीआरयू(भाग-॥)

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 96/2008-सीमा शुल्क, तारीख 13 अगस्त, 2008, सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 13 अगस्त, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 67/2016-सीमा शुल्क, तारीख 31 दिसंबर, 2016 सा.का.नि. 1198 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2016 द्वारा किया गया था ।